प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 28.10.2025

थाना वेव सिटी पुलिस टीम द्वारा मुठभेड़ के दौरान 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 02 तमन्चा 315 बोर मय 02 खोखा कारतूस व 03 जिन्दा कारतूस 315 बोर तथा 01 मो0सा0 हीरो स्प्लेण्डर UP16CH1643 (बिना नं0 प्लेट) व एक कटर , दो बोरे मे चोरी किया बिजली का तार बरामद ।

दिनांक 27.10.2025 को उच्चाधिकारीगण द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाऐ जा रहे अभियान के अंतर्गत दूधिया पीपल से भूडगढी वाले रास्ते पर नाले के पास आने जाने वाले वाहनों की थाना वेव सिटी पुलिस टीम द्वारा चेकिंग की जा रही थी तभी रास्ते में एक बाइक सवार दो व्यक्तियों को दो कट्टों के साथ आता हुआ देखकर संदिग्ध परिस्थिति में पुलिस के द्वारा उन्हें रुकने का इशारा किया गया। इनके द्वारा रुकने के बजाय अपने भाई को पीछे छोड़कर भागने की कोशिश की जिसमें इनकी बाइक गिर गई और पुलिस टीम को आता हुआ देखकर दोनों बदमाश खेतों की तरफ भागने लगे। जब अपने आप को पुलिस टीम के द्वारा पाया गया। इनके द्वारा तो इन्होंने पुलिस टीम के ऊपर जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया जिसमें पुलिस टीम बाल बाल बची और जवाबी कार्रवाई में आत्मरक्षार्थ जब पुलिस टीम ने फायर किया तो इसमें से एक व्यक्ति के पैर में गोली लग गई और दूसरे व्यक्ति को घेरकर पकड़ लिया गया। जब इनसे पूछताछ की गई तो पता चला कि इसमें से जिस व्यक्ति के पैर में गोली लगी है। उसका नाम अनुज उर्फ खम्भा उर्फ खब्बा पुत्र ईश्वर सिह नि0 ग्राम सेतुकुआ थाना खरखौदा जिला मेरठ है और दूसरे व्यक्ति का नाम रफीक अहमद पुत्र अख्तर अली नि0 सराय धारी थाना कोतवाली नगर बुलन्दशहर है। इन दोनों के खिलाफ एक दर्जन से भी ज्यादा मुकदमे चोरी लूट और हत्या का प्रयास जैसे गंभीर श्रेणी में दर्ज है और इनके पास से दो कट्टे मिले हैं जिसमें बिजली के चोरी के तार साथ में कटर एक बाइक और अवैध तमंचा भी बरामद हुआ है। घायल बदमाश को गिरफ्तार कर प्राथमिक उपचार हेतु अस्पताल भेज दिया गया। गिरफ्तार किये गये दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण

गिरफ्तार अभियुक्तगण उपरोक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि दोनों अभियुक्त मिलकर दिल्ली यू0पी0 एनसीआर क्षेत्र में जगह- जगह मोटर साइकिल/स्कूटी बदल-बदल कर वाहन चोरी व बिजली सामान व तार चोरी, लूट की घटना कारित करते हैं। हमारे पास चोरी किया हुआ बिजली का तार है जिसे हमने काटकर दो बोरो मे भरा हुआ है जो मोटरसाईकिल के पास ही पडा है। इसे काटकर बोरे मे भरकर बेचने के लिए जा रहे थे।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता

1. अनुज उर्फ खम्भा उर्फ खब्बा पुत्र ईश्वर सिह नि0 ग्राम सेतुकुआ थाना खरखौदा जिला मेरठ उम्र 35 बर्ष
2. रफीक अहमद पुत्र अख्तर अली नि0 सराय धारी थाना कोतवाली नगर बुलन्दशहर उम्र 53 वर्ष

बरामदगी का विवरण

02 तमन्चा 315 बोर मय 02 खोखा कारतूस व 03 जिन्दा कारतूस 315 बोर तथा 01 मो0सा0 हीरो स्प्लेण्डर UP16CH1643 (बिना नं0 प्लेट) व एक कटर , दो बोरे मे चोरी किया बिजली का तार।

गिरफ्तार घायल अभियुक्त अनुज उर्फ खम्भा उर्फ खब्बा पुत्र ईश्वर सिह नि0 ग्राम सेतुकुआ थाना खरखौदा जिला मेरठ उम्र 35 बर्ष का आपराधिक इतिहासः-

1.मु0अ0स0 139/2015 धारा 379/411/420 भादवि थाना पिलखुआ जिला हापुड निवासी सेतुकुआ थाना खरखौदा जिला मेरठ उ0प्र0

2. मु0अ0स0 424/2015 धारा 4/25 आयुध अधि0 1959 थाना हापुड नगर जिला हापुड निवासी सेतुकुआ थाना खरखौदा जिला मेरठ उ0प्र0

3. मु0अ0स0 0024/2015 धारा 395/397/412/120बी भादवि थाना सिकन्द्राबाद जिला बुलन्दशहर निवासी सेतुकुआ थाना खरखौदा जिला मेरठ उ0प्र0

4. . मु0अ0स0 285/2018 धारा 392/411 भादवि थाना हल्दौर जिला विजनौर निवासी सेतुकुआ थाना खरखौदा जिला मेरठ उ0प्र0

5. . मु0अ0स0 763/2018 धारा 379/411 भादवि थाना जानी जिला मेरठ निवासी सेतुकुआ थाना खरखौदा जिला मेरठ उ0प्र0

6. मु0अ0स0 766/2018 धारा 307/482/34 भादवि थाना जानी जिला मेरठ निवासी सेतुकुआ थाना खरखौदा जिला मेरठ उ0प्र0

7. मु0अ0स0 002/2019 धारा 2/3 उ0 प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 थाना जानी जिला मेरठ निवासी सेतुकुआ थाना खरखौदा जिला मेरठ उ0प्र0

8. . मु0अ0स0 1176/2018 धारा 379 भादवि थाना मुरादनगर जिला गाजियाबाद निवासी सेतुकुआ थाना खरखौदा जिला मेरठ उ0प्र0

9. मु0अ0स0 218/2018 धारा 379 भादवि थाना निवाडी जिला गाजियाबाद निवासी सेतुकुआ थाना खरखौदा जिला मेरठ उ0प्र0

10. मु0अ0स0 283/2018 धारा 380/457 भादवि थाना निवाडी जिला गाजियाबाद निवासी सेतुकुआ थाना खरखौदा जिला मेरठ उ0प्र0

11. मु0अ0स0 305/2018 धारा 380 भादवि थाना निवाडी जिला गाजियाबाद निवासी सेतुकुआ थाना खरखौदा जिला मेरठ उ0प्र0

अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त रफीक अहमद पुत्र अख्तर अली नि0 सराय धारी थाना कोतवाली नगर बुलन्दशहर उम्र 53 वर्ष का आपराधिक इतिहासः-

1.मु0अ0स0 276/2022, धारा 379/411/427 भादवि थाना खरखौदा जिला मेरठ , निवासी सरायधारी, थाना कोतवाली जिला बुलन्दशहर उ0प्र0

2.मु0अ0स0 302/2022, धारा 136/137 भारतीय विद्युत अधि0 2003 थाना खरखौदा जिला मेरठ , निवासी सरायधारी, थाना कोतवाली जिला बुलन्दशहर उ0प्र0

3.मु0अ0स0 110/2022, धारा 136/137/139 भारतीय विद्युत अधि0 2003 थाना भावनपुर जिला मेरठ , निवासी सरायधारी, थाना कोतवाली जिला बुलन्दशहर उ0प्र0
4.मु0अ0स0 223/2022, धारा 136 भारतीय विद्युत अधि0 2003 थाना पल्लवपुरम जिला मेरठ , निवासी सरायधारी, थाना कोतवाली जिला बुलन्दशहर उ0प्र0
5.मु0अ0स0 351/2022, धारा 379/411 भादवि थाना कंकडखेडा जिला मेरठ , निवासी सरायधारी, थाना कोतवाली जिला बुलन्दशहर उ0प्र0
6.मु0अ0स0 469/2022, धारा 395/412/413 भादवि थाना कंकडखेडा जिला मेरठ , निवासी सरायधारी, थाना कोतवाली जिला बुलन्दशहर उ0प्र0
7.मु0अ0स0 473/2022, धारा 147/148/149/307 भादवि थाना कंकडखेडा जिला मेरठ , निवासी सरायधारी, थाना कोतवाली जिला बुलन्दशहर उ0प्र0
8.मु0अ0स0 476/2022, धारा 3/25 आयुद अधि0 1959 थाना कंकडखेडा जिला मेरठ , निवासी सरायधारी, थाना कोतवाली जिला बुलन्दशहर उ0प्र0
9.मु0अ0स0 875/2022, धारा 2/3 उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप(निवारण) अधिनियम 1986 थाना कंकडखेडा जिला मेरठ , निवासी सरायधारी, थाना कोतवाली जिला बुलन्दशहर उ0प्र0

अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम
थाना वेव सिटी पुलिस टीम।

थाना सिहानीगेट पुलिस द्वारा पुलिस मुठभेड़ के दौरान ऑटो में सवारियों को बैठाकर उनके साथ धोखाधडी कर लूटपाट/ सामान चोरी करने वाले गिरोह के 04 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार कब्जे से पीली धातु के 01 जोडी कुण्डल (टाप्स), 01 अदद अंगूठी पीली धातु,01 जोडी पाजेब पायल (सफेद धातु) व 59000 /- रुपये नकद मय 04 अदद तमन्चे 0.315 बोर और 04 खोखा कारतूस 0.315 बोर, 04 जिन्दा कारतूस 0.315 बोर व घटना में प्रयुक्त ऑटो बरामद।

दिनांक 27/28.10.25 को रात में समय करीब बजे सिहानीगेट पुलिस टीम द्वारा डीपीएस कट हमदर्द ग्राउण्ड की ओर सघन चैकिंग कर रहे थे । 04 सन्दिग्ध व्यक्ति ऑटो पर आते दिखाई दिए जिनको पुलिस टीम द्वारा टार्च की रोशनी से रुकने के लिए इशारा किया । तो नहीं रुके हमदर्द चौराहे पर चैकिंग टीम द्वारा जरिये आर0टी0सैट थाने कन्ट्रोल रुम मे सूचना दी गयी आगे डीपीएस फाटक की ओर जाने वाले तिराहे पर चैकिंग कर रही टीम द्वारा रोकने का प्रयास किया गया तो ऑटो चालक ने जान से मारने की नियत से बैरियर मे टक्कर मार दी जिसमें दो उ0नि0 घायल हो गये । ऑटो चालक ऑटो डीपीएस फाटक की ओर मोडकर ऑटो भगा दिया जिसका पीछा कर घेरा बंदी कि गयी तो अपने को घिरता देख कर बदमाशो ने ऑटो को रेलवे के किनारे जंगल में घुसा दिया । जगह कम होने के कारण ऑटो फँस गया । बदमाशो ने पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी जवाबी फायरिंग में 04 बदमाशो के पैर में गोली लगने के कारण घायल हो गये ।

पूछताछ का विवरणः-

पूछताछ पर अभियुक्तगण नफीस , आमिर ,रिहान व शुऐब ने बताया कि साहब हम लोग अपने साथियों के साथ मिलकर (जो ऑटो में सवारी बनकर बैठ जाते हैं) अकेली जा रही सवारी को अपने आटो में बैठा लेते हैं , फिर हम उस सवारी से कोरोना व इनकम टैक्स चैकिंग आदि की बात बताकर, पहले से तैयार योजाना के अनुसार ऑटो में सवारी बनकर बैठे हमारे साथी को एक थैले या पॉलीथीन में रखने को कहते है और बाद में सवारी को भी अपना कीमती सामान जैसे सोने, चाँदी की आभूषण, मोबाईल, पैसे आदि सामान एक थैले में रखवा लेते हैं।इसके बाद हम लोग सवारी के साथ धोखाधडी कर किमती सामान को चोरी कर लेते है और सवारी को बीच रास्ते में ऊतार कर भाग जाते है इस प्रकार हम लोग सवारियों से उनका सामान चोरी / ठगी कर लेते हैं।

<u>नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त –</u>

1. नफीस उर्फ पप्पन पुत्र श्री महमूद कसाई निवासी टोली मौहल्ला थाना लोनी जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 45 वर्ष

2.आमिर पुत्र श्री आलम निवासी मौहल्ला टोली लोनी थाना लोनी गाजियाबाद।

3. रिहान पुत्र श्री नफीस निवासी मौहल्ला टोली लोनी थाना लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 24 वर्ष।

4. शुऐब पुत्र इकरामुद्दीन निवासी मौहल्ला टोली लोनी थाना लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 36 वर्ष।

<u>बरामदगी का विवरण –</u>

1-01 देशी तमंचा मय 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर मय 01 खोखा .315 बोर अभि0 नफीस से बरामद

2- 01 देशी तमंचा मय 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर मय 01 खोखा .315 बोर अभि0 आमिर से बरामद

3.01देशी तमंचा मय 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर मय 01 खोखा .315 बोर अभि0 रिहान से बरामद

4. 01 देशी तमंचा मय 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर मय 01 खोखा .315 बोर अभि0 शुऐब से बरामद

5- 01 जोडी पीली धातु के कुंडल (टाप्स)

6-01 अंगूठी पीली धातु के

7- 01 जोडी पायल (सफेद धातु)

8-59000 /- रुपये

9- घटना में प्रयुक्त आँटो

<u>अपराधिक इतिहास अभियुक्तगण-</u>

1.अभियुक्त आमिर के विरुद्ध विभिन्न थानों पर लूट के 07 , आर्म्स एक्ट के 04 , चोरी का 01 , NDPS Act. का 01 व पुलिस मुठभेड के 01 कुल 14 अभियोग पंजीकृत है।

2. अभियुक्त नफीस पर थाना साहिबाबाद में चोरी के 01 व गैर इरादतन हत्या का 01 कुल 02 अभियोग पंजीकृत है

3.अभियुक्त रिहान के विरुद्ध विभिन्न थानों पर कुल 07 अभियोग पंजीकृत है।

4. अभियुक्त शुऐब के विरुद्ध 01 अभियोग पंजीकृत है

<u>गिरफ्तार करने वाली टीम –</u>

थाना सिहानीगेट पुलिस टीम

थाना मोदीनगर पुलिस टीम द्वारा एटीएम कार्ड बदलकर धोखाधडी कर पैसे निकालने वाले 03 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अलग-अलग बैंको के 12 एटीएम कार्ड, 03 मोबाइल फोन, 01 लाख 22 हजार 370 रु नगद तथा घटना में प्रयुक्त कार बरामद ।

आज दिनांक 28.10.2025 को थाना मोदीनगर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर एटीएम कार्ड बदलकर पैसे निकालने वाले 03 अभियुक्तों 1.राहुल चौधरी पुत्र देवेन्द्र सिंह निवासी चित्रकूट कॉलोनी थाना खुर्जा नगर जिला बुलन्दशहर 2.मनोज अत्री उर्फ आशु पुत्र सुन्दरपाल सिंह निवासी न्यू शिवपुरी गली नं-2 थाना खुर्जा नगर जिला बुलंदशहर 3.सुमित कुमार पुत्र ओमप्रकाश निवासी ग्राम समसपुर थाना खुर्जा देहात जिला बुलंदशहर को थाना क्षेत्र मोदीनगर से गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से भिन्न – भिन्न बैंको के 12 एटीएम कार्ड, 03 मोबाइल फोन, धोखाधडी से एटीएम कार्ड बदलकर अर्जित किये गये 01 लाख 22 हजार 370 रु नगद व घटनाओं में प्रयुक्त कार बरामद हुयी। अभियुक्तगण द्वारा थाना मोदीनगर क्षेत्र में एटीम फ्रॉड की 03 घटनाओं को अजांम दिया गया जिनके संबंध थाना मोदीनगर पर सुसंगत धाराओं में कुल 03 अभियोग पंजीकृत हैं। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ करने पर अभियुक्तगण ने बताया कि हम लोग कार (ब्रेजा) से दूर-दराज के इलाकों में जाकर इन एटीएम कार्डो की मदद से ए०टी०एम० मशीन से पैसा निकालने के लिए आने वाले भोले-भाले व्यक्तियो से पहले एटीएम में घुस कर उनके पीछे खडे होकर उनका एटीएम कार्ड का पिन कोड देख लेते हैं तथा बातों-बातों में मदद करने के बहाने हाथ की सफाई दिखाते हुए उनका एटीएम उसी के जैसे दिखने वाले एटीएम से बदल देते हैं तथा कुछ दूरी पर जाकर अन्य एटीएम से पैसे निकाल कर आपस में बांट लेते हैं। हमारे द्वारा पूर्व में थाना मोदीनगर क्षेत्र में 03 घटनाएं कारित की जा चुकी हैं। जो रुपये हमसे बरामद हुए हैं ये उन्ही घटनाओं से सम्बन्धित हैं।

अभियुक्तों द्वारा थाना मोदीनगर क्षेत्र में कारित की गयी घटनाओं का विवरण-

1. दिनांक 10.08.2025 को आईसीआईसीआई बैंक एटीएम सन्तपुरा मोदीनगर से अभियुक्तगण द्वारा एक व्यक्ति का एटीएम / डैबिट कार्ड बदलकर 01 लाख 88 हजार रु निकालने की घटना कारित की गयी।
2. दिनांक 20.04.2025 को पंजाब नैशनल बैंक एटीएम गोविन्दपुरी से अभियुक्तगण द्वारा एक व्यक्ति का एटीएम / डैबिट कार्ड बदलकर 41 हजार रु निकालने की घटना कारित की गयी।
3. दिनांक 06.04.2025 को आईसीआईसीआई बैंक एटीएम हरमुखपुरी से अभियुक्तगण द्वारा एक व्यक्ति का एटीएम / डैबिट कार्ड बदलकर 29 हजार रु निकालने की घटना कारित की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता -

1. राहुल चौधरी पुत्र देवेन्द्र सिंह निवासी चित्रकूट कॉलोनी थाना खुर्जा नगर जिला बुलन्दशहर उम्र करीब 30 वर्ष।
2.मनोज अत्री उर्फ आशु पुत्र सुन्दरपाल सिंह निवासी न्यू शिवपुरी गली नं-2 थाना खुर्जा नगर जिला बुलंदशहर उम्र करीब 30 वर्ष।
3. सुमित कुमार पुत्र ओमप्रकाश निवासी ग्राम समसपुर थाना खुर्जा देहात जिला बुलंदशहर उम्र करीब 26 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

कब्जे से भिन्न – भिन्न बैंको के 12 एटीएम कार्ड, 03 मोबाइल फोन, धोखाधडी से एटीएम कार्ड बदलकर अर्जित किये गये 01 लाख 22 हजार 370 रु नगद व घटनाओं में प्रयुक्त कार बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग –

अभियुक्त मनोज अत्री के विरुद्ध धोखाधडी के सम्बन्ध में थाना मोदीनगर पर 03 अभियोग व चोरी से सम्बन्धित थाना कविनगर पर 01 अभियोग पंजीकृत है । **(कुल अभियोग-04)** ।

अभियुक्त सुमित के विरुद्ध धोखाधडी के सम्बन्ध में थाना मोदीनगर पर 03 अभियोग व जनपद बुलंदशहर में मारपीट के संबंध में 03 अभियोग पंजीकृत हैं । **(कुल अभियोग -06)** ।

अभियुक्त राहुल चौधरी के विरुद्ध धोखाधडी के सम्बन्ध में थाना मोदीनगर पर 03 अभियोग पंजीकृत हैं ।**(कुल अभियोग -03)** ।

अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली टीम-

थाना मोदीनगर पुलिस टीम ।